उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग--2
संख्या-- — / V-2/2017--05(आ0) / 2017 टी.सी.
देहरादून: दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या--1813 / V-2--2017--05(आ0) / 2017 दिनांक 13--11--2017 के द्वार जिला स्तरीय नैनीताल विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया था, उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए अंतरिम प्रस्तर के स्थान पर निम्नवत् प्राविधान प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2-- अतः राज्यपाल, अब, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा--3 सहपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा--21 द्वारा प्रदृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना दिनांक 07--9--1994, अधिसूचना दिनांक 01--7--1996, अधिसूचना दिनांक 19--3--1999, अधिसूचना दिनांक 21--12--2016, अधिसूचना दिनांक 26--5--2016 एवं अधिसूचना दिनांक 21--12--2016 को अधिकमित करने तथा अधिसूचना दिनांक 26--5--2016 को आंशिक रूप से अधिकमित करते हुए निम्नलिखित भू--भाग को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(क) जिला नैनीताल का सम्पूर्ण मैदानी भू--भाग क्षेत्र (तहसील हल्द्वानी, लालकुंआ, रामनगर एवं कालाढूंगी) का सम्पूर्ण क्षेत्र।

(ख) जिला नैनीताल का पर्वतीय भू--भाग जो कि पूर्व में नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र।

(ग) जिला नैनीताल का पर्वतीय भू--भाग में अवस्थित स्थानीय नगर निकाय यथा--नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत (छावनी परिषद को छोड़ते हुए)।

(घ) जिला नैनीताल का पर्वतीय भू--भाग जो पूर्व में नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं नगर निकाय का क्षेत्र रहा हो, को छोड़कर अवशेष क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 200 मीटर के क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम। (सूची संलग्न)

3-- अधिसूचना संख्या--1813 / V-2--2017--05(आ0) / 2017 दिनांक 13--11--2017 में उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त अन्य प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

संलग्न--यथोपरि।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

टी.सी.
संख्या-- —— / V-2/2017--05(आ0) / 2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के राजकीय परिशिष्ट की 100 प्रतियां मुद्रित कराते हुए प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 2095(2) / v-2/2017–05(आ0) / 2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ।
4– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
7– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
8– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
9– सचिव, विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
10– गार्ड पत्रावली / एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव